

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम रामकरण
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-01 सन्-2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-01/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
-------------	---	---

21.03.2024 पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2080 ग्राम खेड़ली कला भूमि ख0न0 62 कुल अतिक्रमित रकबा 0.01 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर गैर सायल रामकरण पुत्र दुर्गा जाति मीना निवासी खेड़ली कला द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं गैर सायल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया, इसके स्पस्ट होता है कि गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर ~~1.95~~ रुपये का 50 गुणा लगभग 98 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।

बेदखली, एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले

जज अदालत में सुनाया गया।

पटवारी 5 पर 98 रु

मांग कायमी की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार


नायब तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)

